तायों, नियमावलियो आदि के नाम क्या है तथा सबसे अन्त म ये कब प्रकाशित की गई थी ,

(ख) क्या सरकारी भाषा सबधी नीति के अनुसार ये नियम-पुस्तके, विभागीय, सहिताएं हिन्दी मे भी प्रकाशित होनी चाहिये, और

(ग) यदि हा, तो हिन्दी मे कितनी प्रकाशित की गई तथा शष पुस्तको को हिन्दी में प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Applications pending for grant of House building Advance

1010 SHRI KACHARULAL HEMRAJ JAIN

SHRI RAMANAND TIWARY:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state

(a) the total number of applications for sanction of House Building Advance pending with the Ministry forwarded by various Ministries/Offices of the Government of India as on 31-10-1977

(b) since when these applications are pending and when a decision is likely to be taken on all these applications, and

(c) the reasons for taking such a long time in disposing them of?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKER) (a) About two thousand.

(b) and (c). Of the applications for the grant of house building advance. for the first time, only 257 relate to period prior to 1st October, 1977, some of these being of March April, 1977

For requests for enhancement, no definite date can be given because, in many cases, these come back again and again for reconsideration. Some of these are pending for over a year.

The main reason for delay is that the value of the applications received during a year far exceeds the budget grant of the year, and many applications have to lie over for consideration from the grant of the next following year, and this process gets repeated each year

उर्वरको के मूल्य कम करना

1011. श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :

श्री दयाराम रवि :

श्री जगन्नाथ प्रधान :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने उर्वरको के मूल्य कम करने के लिये कोई निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से और इसके मूल्य मे कितनी कमी की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) हाल ही मे दिनाक 12 अक्तूबर, 1977 मे यूरिया के खुदरा मूल्य 1650 रु० प्रति मीटरी टन से घटा कर 1550 रु० प्रति मीटरी टन अर्थात प्रति मीटरी टन मे 100 रु० कमी कर दी गई है ।